

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

दूरभाष 0141-2227229, Email- pdme2k\_rdd@yahoo.com

क्रमांक:-प. 8(13)( )ग्रावि/अन.8/एसपीएमआरएम/विविध/2018

जयपुर, दिनांक:


आदेश

प्रायः देखा गया है कि जिलो में ग्रामीण विकास की योजनाओं का कार्यभार अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) के स्थान पर अन्य अभियंताओं को भी दिया जा रहा है जो पर्यवेक्षण की दृष्टि से सही नहीं है। ग्रामीण विकास की योजनाओं (मय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन) का कार्यभार अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) को दिया जावे।

यदि आपके द्वारा जिला स्तर पर अन्य किसी अधिकारी/अभियंता को ग्रामीण विकास की योजनाओं का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है तो उसे तुरन्त निरस्त करते हुये अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) को ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं का प्रभारी नियुक्त किया जावे तथा आदेश जारी कर अविलम्ब प्रति विभाग को भेजे।

महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत जिला स्तरीय/ब्लॉक एमआईएस मैनेजर से आईडब्ल्यूएमएस व रूबर्न सॉफ्टवेयर का कार्य कराया जावे। भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महात्मा गांधी नरेगा के एमआईएस को ही प्रशिक्षण हेतु भेजे जिससे आईडब्ल्यूएमएस, रूबर्न सॉफ्टवेयर का कार्य प्रभावी रूप से किया जा सके।

उक्त निर्देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।




(राजेश्वर सिंह)

प्रमुख सचिव

ग्रा.वि.एवं पंचायतीराज

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि व परावि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, एसएपी-1 व एसएपी-2, ग्रामीण विकास, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रा.वि.प्र), जिला परिषद, समस्त।



01/01/18  
परियोजना निदेशक एवं पदेन  
उप सचिव (मो एवं मू)